स० अ. 12018/2/2018- आर॰डी॰/स्था० III

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक 23.01.2019

सूचना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों के स्टाफ कार ड्राईवरों पदों के भर्ती नियमो को संशोधित कर रहा है । इस सम्बन्ध में भर्ती नियमों कि प्रति संलग्न है।

इस सम्बन्ध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य अभिकरणों से विचार करने से पूर्व समस्त हितधारकों की टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, आमंत्रित की जाती हैं । ऐसी कोई भी टिप्पणी दिनांक 23.02.19 तक अवर सचिव (प्रशासन), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कमरा नं- 330 'सी' , निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110108 को प्रेषित की जा सकती है तथा ई-प्रति amit.kumar82@nic.in पर भेजी जा सकती है।

संलग्नक: यथोपरि।

अमित कुमार

(अमित कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : (011)23061323

सेवा में,

समस्त संबंधितों को ।

[भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखण्ड (1) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2018

सा.का.नि. . . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय परिवार नियोजन क्षेत्रीय एककों/क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयों (चालक) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, शिमला, शिलॉन्ग, श्रीनगर और तिरूवनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालयों में स्टाफ कार चालक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों में स्टाफ कार चालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय, (स्टाफ कार चालक) (समूह 'ग' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2018 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **आरंभिक गठन:** इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों के पदधारी व्यक्ति, जिन्हें इन नियमों के आरंभ होने से पूर्व क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था, को भी इन नियमों के अधीन नियुक्त माना जाएगा और उक्त पद पर उनके द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवाओं की गणना परिवीक्षा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए की जाएगी ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मेट्रिक्स में स्तर** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी)	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 (रु.19900-63200)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष* (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयुसीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से भारत में आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) * यदि सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जानी है तो आयु-सीमा 18-27 वर्ष होगी।	आवश्यक: (i) मोटरकार चलाने का वैद्य चालक लाइसेंस; (ii) मोटर मेकैनिज्म का ज्ञान (अभ्यर्थी को वाहन में छोटी-मोटी ख़राबी ठीक करनी आनी चाहिए); (iii) मोटरकार चलाने का न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव; और (iv) 10वीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय: होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में 3 वर्षों की सेवा। टिप्पण 1: अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएं शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबधी अर्हताएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए शिथिल की जा सकती हैं यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले या पुन:नियुक्त व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र सेना कर्मियों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुन:नियुक्ति	प्रतिनियुक्ति/आमेलन: क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में नियमित डिस्पैच राइडर (समूह ग) और समूह ग के कर्मचारी में से, जिनके पास मोटर कार चलाने की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए वाहन चालन परीक्षा के आधार पर मोटर कार चलाने का वैद्य चालक लाइसेंस हो, जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 में नियमित आधार पर डिस्पैच राइडर का पद धारण करने वाले व्यक्तियों या नियमित समूह ग कर्मचारियों में से जो स्तंभ 7 में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं का धारण करते हों। सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुन:नियुक्ति: सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक पर भी विचार किया जाएगा जो सेवानिवृत्त होने वाले हों या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अंदर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जो निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अर्हताएं रखते हों। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति अवधि प्रदान की जाएगी जिस तारीख को उन्हें सशस्त्र सेना से कार्यमुक्त किया जाने वाला है, जिसके पश्चात् उन्हें पुन: नियुक्ति पर बनाए रखा जा सकता है। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/ आमेलन के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उपनिदेशक प्रशासन/ संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक (श्रेणी II)	5* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 (रु.25400-81100)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर 2 के स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण: (क) उक्त प्रयोजन हेतु संचालित व्यवसाय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा: (i) अंग्रेज़ी अंकों और संख्या पढ़ने में सक्षम हो; (ii) यातायात नियमों को अच्छा ज्ञान हो; (iii) पेट्रोल और डीज़ल इंजिनों का अच्छा ज्ञान हो और ख़राबी का पता लगाने व छोटी-मोटी ख़राबियों को ठीक करने में सक्षम हो; (iv) कार्बरेटर, प्लग आदि साफ करने में सक्षम हो; (ख) उपर्युक्त (i) से (iv) पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उपनिदेशक प्रशासन/ संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I)	6* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 5 (रु.29200-92300)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4 के स्टाफ कार चालक श्रेणी- II जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (सामान्य श्रेणी) में 15 वर्षों की सम्मिलित सेवा की है; और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण की हो। टिप्पण: (क) उक्त प्रयोजन हेतु संचालित व्यवसाय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा: (i) अंग्रेज़ी अंकों और संख्या पढ़ने में सक्षम हो; (ii) यातायात नियमों को अच्छा ज्ञान हो; (iii) पेट्रोल और डीज़ल इंजिनों का अच्छा ज्ञान हो और ख़राबी का पता लगाने व छोटी-मोटी ख़राबियों को ठीक करने में सक्षम हो; (iv) कार्बरेटर, प्लग आदि साफ करने में सक्षम हो; (ख) उपर्युक्त (i) से (iv) पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा।	पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उपनिदेशक प्रशासन/ संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 (रु.35400-112400)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन मेट्रिक्स में स्तर 5 के स्टाफ कार चालक (श्रेणी I) जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण: (क) उक्त प्रयोजन हेतु संचालित व्यवसाय परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा: (i) अंग्रेज़ी अंकों और संख्या पढ़ने में सक्षम हो; (ii) यातायात नियमों को अच्छा ज्ञान हो; (iii) पेट्रोल और डीज़ल इंजिनों का अच्छा ज्ञान हो और ख़राबी का पता लगाने व छोटी-मोटी ख़राबियों को ठीक करने में सक्षम हो; (iv) कार्बरेटर, प्लग आदि साफ करने में सक्षम हो; (ख) उपर्युक्त (i) से (iv) पर आधारित व्यावहारिक परीक्षा।	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उपनिदेशक प्रशासन/ संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी - सदस्य पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति: 1. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक – अध्यक्ष 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उपनिदेशक प्रशासन/ संबंधित प्रशासनिक अनुभाग के अनुभाग अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

(एफ. सं. ए-12018/02/2018-आरडी)

................................., अवर सचिव